


वाद संख्या 159 / 2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
24.10.2018	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से एडवोकेट श्री महेश शर्मा नयावास ने प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी किया जाकर पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 24.01.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जमवारा मगद </p>
24/11/19	<p>पत्रावली पेश हुई। <u>रकील दाई उप०</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्तव तलबी/जलद दिनांक <u>19/11/19</u> को पेश हो।</p>
25/11/19	<p>प्राप्ति वादीगण द्वारा एक प्राप्ति पत्र केन्द्रित केडेष 23 निपात। सफित धारा 15 CPC का पेश होकर पर पत्रावली का पेश हुई वादी रूप उपलिप्त। केडेषिका पर वास्तव किपे। जिसकी पहचान उसके केडेषिका श्री महेश शर्मा ने की। प्रस्तुत प्राप्ति पत्र से केडेषिका कि वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है। तथा प्राप्ति वादी वास्तव केडेषिका के रिपव करते इसे विज्ञ करण चाहते हैं।</p> <p>हमने प्रस्तुत प्राप्ति पत्रावली का केडेषिका किपे। वादी को सुनने सुनने के उपरान्त प्रस्तुत प्राप्ति पत्र 0232। सफित धारा 15 CPC के स्वीकार किपे जाता है तथा वाद को विज्ञ करण की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं वाद को लीप किपे जाता है पत्रावली केडेषिका सुनने केडेषिका केडेषिका से का हो। वाद प्राप्ति केडेषिका केडेषिका है।</p>

गिराज शर्मा
